न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः 02/2025 दायर दिनाँक 12.02.2025

प्रार्थीगण		अप्रार्थी
1. रघुवीरसिंह पुत्र स्व. नन्दसिंह 2. चिमनसिंह पुत्र स्व. छगनसिंह समस्त जाति राजपुत निवासीगण ठाकरियास तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन, राजस्थान।	बनाम	1. मोकलराम पुत्र मोडूराम जाति जाट निवासी ठाकरियास तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत धारा–251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री रघुवीरसिंह वकील प्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **10.07.2025**

संक्षेप में प्रार्थी की प्रार्थना इस प्रकार है कि खेत खसरा सं0 332 रकबा 0.1200 हैक्टे0 मौजा ठाकरियास पटवार हल्का दादूबासनी में अवस्थित है जो कि ठाकरियास ग्राम राजपूत समाज का शमशान करीब 100 वर्षो पूर्व का बना हुआ है। प्रार्थीगण ठाकरियास ग्राम के समस्त राजपूत समाज की तरफ से प्रतिनिधि की हैसियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। उक्त खेत खसरा नम्बर 332 में वर्तमान में प्रार्थीगण के समाज के शमशान तक पहुंचने हेतु कोई कटाणी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है। जिस हेतु प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 333 रकबा 1.1800 है. में से नये कट्टाणी रास्ते के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) उपधारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमती लेना चाहते है।

प्रकरण को उक्त वर्णित नम्बर से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन की तामिली पर अप्रार्थी बावजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित। एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार डीडवाना से जरिये पत्रांक– रीडर/2024/317 दिनांक 01.07.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मौजा ठाकरियावास के खसरा नम्बर 332 रकबा 0.1200 है. में कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है। उक्त खसरान् में आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। खसरा संख्या 332 के सबसे नजदीकी रास्ता खसरा संख्या 333 में से लगता है। रास्ते में जाने वाली भूमि 0.0168 है. भूमि की कृषि भूमि की दर से दो गुना कीमत 17136 रुपये बनती [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 15:04:10 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त रिपोर्ट से न्यायालय सहमत है। उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट के परिपेक्ष में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

—:: आदेश ::—

प्रार्थीगण का प्रार्थना—पत्र स्वीकार कर खेत खसरा सं0 332 रकबा 0.1200 हैक्टे0 किस्म गै.मु.शमशान में आवागमन हेतु तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांकः रीडर/2024/317 दिनांक 01.07.2025 में लाल स्याही से दर्शित भूमि अप्रार्थी के खेत खसरा सं. 333 में प्रस्तावित रास्ता वाके सरहद ठाकरिया में से रास्ता की भूमि घोषित की जाती है तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करने से पूर्व रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन वर्तमान डी0एल0सी0 दर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ते की भूमि का नियमानुसार प्रभावित खातेदारान् को भूगतान करावे। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांकः 317 दिनांक 01.07.2025 निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 10.07.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 15:04:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner